

(Authoritative English text of H.P. Government Notification No. Home-F(A)3-1/2019 dated /2019 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Home

No. Home-F (A) 3-1/2019-I Dated Shimla-2, the 23-07, 2019.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section of 9 of the Himachal Pradesh Fire Fighting Service Act, 1984 (Act No. 30 of 1984) the Governor, Himachal Pradesh, hereby requires the owners or occupiers of the following premises mentioned at column No.2 which are likely to cause risk of fire, to take precautions for fire prevention and fire safety measures namely:-

1	2	3
Sr.No.	Class of Premises	Precautions for fire prevention and fire safety measure to be taken by the owners and occupiers of the buildings namely:-.
1	Buildings having height of 15 metres and above.	(1) Access to building
2	Pandal having seating capacity more than 500 persons or covered area more than 500 square metres.	(2) Number, width, type and arrangement of exits.
3	Residential building (other than hotels and guest houses) having height more than 15 metres or having ground plus four upper storey's including mezzanine floor.	(3) Protection of exits by means of fire check door(s) and or pressurization.
4	Hotels and guest Houses having height more than 12 metres or having ground plus three upper storeys including mezzanine floor.	(4) Compartmentation.
5	All educational buildings.	(5) Smoke Management System.
6	Institutional buildings having height more than 9 metres or having ground plus two upper storeys including mezzanine floor.	(6) Fire Extinguishers.
7	All Assembly buildings .	(7) First-Aid Hose Reels.
8	Business buildings having height more than 15 metres or having ground plus four upper storeys	(8) Automatic fire detection and alarming system.
		(9) Manually Operated Electrical Fire Alarm System
		(10) Public Address System.
		(11) Automatic Sprinkler System.
		(12) Internal Hydrants and Yard Hydrants.
		(13) Pumping Arrangements.
		(14) Captive Water Storage for fire fighting,
		(15) Exit Signage.
		(16) Provision of lifts.

9	including mezzanine floor. Mercantile buildings having height more than 9 metres or having ground plus two upper storeys including mezzanine floor.	(17) Standby power supply. (18) Refuge Area. (19) Fire Control Room. (20) Special Fire Protection Systems for protection of special risks.
10	Industrial building having covered area on all floors more than 250 square metres.	Explanation: Where any building is owned or occupied by more than one person, the responsibility for providing the fire safety and fire prevention measures as per the directions of the inspecting Fire Officer for the whole building will be shared in proportion to the area occupied or owned by individual owner or occupier as the case may be.
11	Storage building having covered area on all floors more than 250 square metres.	
12	All Hazardous buildings having covered area on all floor more than 100 square metres.	
13	Underground structures.	
14	Commercial kitchens such as hostels of educational institutions etc.	
15	Slum area which is defined by a local authority as a slum area, having covered area more than 1000 square metres or having more than 25 sheds.	
16	Hostel and Coaching Centres, which is, used for students not less than 20 in numbers.	
17	All the projects registered under RERA Act.	

By Order


Addl. Chief Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Home-F(A)3-1/2019 Dated Shimla-2 the

23-7-2019.

Copy forwarded to :-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, Himachal Pradesh, Public Service Commission, Shimla-2 alongwith 2 spare copies.
3. The ADG- cum- Director, Fire Services, Himachal Pradesh, Shimla-2 for information and necessary action with 5 spare copies.
4. The Joint Legal Remembrance-cum- Joint Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. Guard File.


Special Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

संख्या: होम-एफ(ए)3-1/2019-1 तारीख, शिमला-2, 23-7-2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 9 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित निम्नलिखित परिसरों, जिनसे अग्नि का जोखिम कारित होना संभाव्य है, के स्वामियों या अधिभोगियों से आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए पूर्वावधानियां बरतने की एतद् द्वारा अपेक्षा करते हैं, अर्थात् :-

1	2	3
क्रम संख्या	परिसरों के प्रवर्ग	भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय हेतु की जाने वाली पूर्वावधानियां अर्थात्:-
1.	15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले भवन।	(1) भवन तक पहुँच।
2.	500 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता या जिसका आच्छादित क्षेत्र 500 वर्गमीटर से अधिक हो, वाला पण्डाल।	(2) निकासों की संख्या, चौड़ाई, प्रकार और व्यवस्था।
3.	आवासीय भवन (होटलों और अतिथि गृहों से अन्यथा) जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है या भूतल के अतिरिक्त दुछती मंजिल सहित चार ऊपरी मंजिले हैं।	(3) अग्नि नियन्त्रण दरवाजा (दरवाजे) और या दाबानुकूलन द्वारा निकासों की सुरक्षा।
4.	12 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले होटल और अतिथि गृह या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछती मंजिल सहित तीन ऊपरी मंजिले हैं।	(4) प्रखण्डन।
5.	समस्त शैक्षणिक भवन।	(5) धुआँ प्रबन्धन प्रणाली।
		(6) अग्निशामक।
		(7) प्राथमिक उपचार पाईप रीले (होज रील्ज)।
		(8) स्वचालित अग्नि संसूचक

6.	9 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले संस्थागत भवन या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछती मंजिल सहित दो ऊपरी मंजिले हैं।	और संत्रास प्रणाली । (9)हस्त- प्रचालित वैद्युत अग्नि संत्रास प्रणाली ।
7.	समस्त सभा भवन ।	(10)ध्वनि प्रवर्धक तंत्र ।
8.	15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले कारबारी भवन या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछती मंजिल सहित चार ऊपरी मंजिले हैं।	(11)स्वचालित छिड़काव प्रणाली।
9.	9 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले वाणिज्यिक भवन या जिनमें भूतल के अतिरिक्त दुछती मंजिल सहित दो ऊपरी मंजिले हैं।	(12) आन्तरिक हाइड्रेंट और प्रांगण हाइड्रेंट।
10.	औद्योगिक भवन, जिनका समस्त तलों का आच्छादित क्षेत्र 250 वर्गमीटर से अधिक है।	(13) पंपिंग व्यवस्था।
11.	भण्डारण भवन जिनकी समस्त तलों का आच्छादित क्षेत्र 250 वर्गमीटर से अधिक है।	(14) अग्निशमन के लिए आबद्ध जल भण्डारण।
12.	समस्त परिसंकटमय भवन जिनका समस्त तलों का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक है।	(15) निकासी संकेत।
13.	भूमिगत अवसंरचनाएं ।	(16) लिफ्टों की व्यवस्था।
14.	वाणिज्यिक रसोइयां जैसे शैक्षणिक संस्थानों आदि के छात्रावास ।	(17)स्थानापन्न विद्युत-आपूर्ति।
15.	गन्दी-बस्ती क्षेत्र जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्ती क्षेत्र परिनिश्चित किया गया है, जिसका आच्छादित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक है या जिसमें 25 से अधिक शैड हैं।	(18) शरण क्षेत्र।
16.	छात्रावास और कोचिंग सेन्टर, जो कम से कम 20 छात्रों की संख्या के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ।	(19) अग्नि नियन्त्रण कक्ष।
17.	भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त परियोजनाएं ।	(20) विशेष खतरों की सुरक्षा के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा प्रणालियां।

स्पष्टीकरण:-

जहां कोई भवन एक से अधिक व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या अधिभोगाधीन है, वहां संपूर्ण भवन हेतु निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी के निदेशानुसार अग्निसुरक्षा और आग की रोकथाम के उपायों की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायित्व

		स्वामी या अधिभोगी द्वारा स्वामित्वाधीन या अधिभोगाधीन क्षेत्र के अनुपात में वहन किया जाएगा।
--	--	--

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि तारीख, शिमला-223-7-2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. सचिव, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
3. महानिदेशक एवं आदेशक गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग व निदेशक अग्निशमन सेवाएं विभाग हिमाचल प्रदेश को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सयुंक्त विधिक परामर्शी एवं सयुंक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
5. गार्ड नस्ति ।



विशेष सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।